पत्रांक–2/यो0–5005/2025–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
(ले० एवं ह०)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– **नियोजन–सह–मार्गदर्शन कार्यक्रम** स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी नियोजनालयों में स्थापित पुस्तकालय, कैरियर इन्फार्मेशन सेन्टर को सुचारू रूप से चलाने, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु स्टडी किट का वितरण एवं जिला स्तरीय नियोजन मेला एवं जॉब कैम्प के आयोजन हेतु चालू स्कीम का ₹5,99,99,000 (रूपये पाँच करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः–**स्वीकृत ।**

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत **नियोजन–सह–मार्गदर्शन कार्यक्रम** स्कीम के तहत् वित्त विभाग के बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम 2025 पत्रांक–संख्या–ब–15/बी०एस०जी०–12/2025–227/(वि०) दिनांक–28.03.2025 तदनुसार प्रशासी विभाग (श्रम संसाधन) के ज्ञापांक–1173 दिनांक–04.04.2025 द्वारा प्राप्त शक्तियों के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹5,99,99,000 (रूपये पाँच करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है :–

(A) ₹1,00,00,000 (रूपये एक करोड़) मात्र राज्य स्कीम अन्तर्गत राज्य के जिला नियोजनालयों/अवर प्रादेशिक नियोजनालयों/विश्वविद्यालयों में स्थापित कैरियर सूचना केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु संबंधित कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि का आवंटन दिया जायेगा। इस राशि से उन केन्द्रों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/रेलवे/बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए उच्च मानक के प्रतियोगी पत्रिकाएँ, पुस्तकें एवं समाचार पत्रों का नियमानुसार क्रय किया जायेगा। व्यय का लेखा–जोखा एवं अभिलेखों का पोषण संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। जिला नियोजनालयों में स्थापित सी०आई०सी० के अतिरिक्त अन्य कोई सी०आई०सी० सक्रिय हो तो उसका संचालन संबंधित कार्यालय को प्राप्त राशि से ही किया जायेगा।

(B) ₹1,49,99,000 (रूपये एक करोड़ उनचास लाख निन्यानवे हजार) मात्र राज्य के सभी अवर प्रादेशिक नियोजनालय/जिला नियोजनालय/विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र एवं विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सहायता पहुँचाने हेतु संबंधित परीक्षा का स्टडी किट उपलब्ध कराने पर व्यय किया जायेगा। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्टडी किट का अधिकतम मुल्य ₹5,000 (रूपये पाँच हजार) मात्र तक सीमित रखा जायेगा। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी किट का अधिकतम मुल्य ₹2,500 (रूपये दो हजार पाँच सौ) मात्र तक सीमित रखा जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा :–

I. बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम ₹3,00,000/– मात्र हो तथा नियोजनालय में न्यूनतम छः माह पूर्व से निबंधित हो, इस योजना के पात्र होंगे। लाभुकों के चयन में निबंधन की वरीयता को प्रथमिकता दी जायेगी।

II. अभ्यर्थी सरकारी सेवा संबंधी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। उम्र सीमा संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के मापदंड के अनुरूप होगा।

III. लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, Transgender, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

IV. अभ्यर्थी को नियोजन पक्ष द्वारा संचालित स्टडी किट एवं टूल किट योजना में से केवल एक योजना का लाभ दिया जायेगा। साथ ही पूर्व में स्टडी किट/टूल किट प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

V. लाभुकों का चयन संबंधित उप निदेशक (नियोजन) की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति, जिसमें संबंधित सहायक निदेशक (नियोजन), नियोजनालय के जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी सदस्य होंगे, द्वारा किया जायेगा।

(13)

(C) ₹1,00,00,000 (रूपये एक करोड़) मात्र राज्य के सभी अवर प्रादेशिक नियोजनालय/जिला नियोजनालय/विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र एवं विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय द्वारा संबंधित जिले के युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार नियोजन के अवसर दिलाने हेतु जिला स्तरीय जॉब कैम्प के आयोजन पर राशि का व्यय किया जायेगा। इस राशि से नियोजन कैम्प के आयोजन के क्रम में वृहत प्रचार–प्रसार, टेंट पंडाल, साज–सज्जा, भोजन नाश्ता एवं स्टेशनरी, इत्यादि पर व्यय किया जायेगा। निदेशालय द्वारा नियोजन कैम्प आयोजन हेतु निर्धारित SOP (Standard Operating Procedure) का अनुपालन किया जायेगा।

(D) ₹2,50,00,000 (रूपये दो करोड़ पचास लाख) मात्र राज्य के सभी अवर प्रादेशिक नियोजनालय/जिला नियोजनालय द्वारा संबंधित जिले के युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार नियोजन के अवसर दिलाने हेतु जिला स्तरीय नियोजन मेला के आयोजन पर राशि का व्यय किया जायेगा। इस राशि से नियोजन मेला के आयोजन के क्रम में वृहत प्रचार–प्रसार, टेंट पंडाल, साज–सज्जा, भोजन–नाश्ता एवं स्टेशनरी, इत्यादि पर व्यय किया जायेगा। निदेशालय द्वारा नियोजन मेला आयोजन हेतु निर्धारित SOP (Standard Operating Procedure) का अनुपालन किया जायेगा।

3. गत वर्ष 2024–25 में इस स्कीम की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–934 दिनांक–27.06.2024 एवं पत्रांक–167 दिनांक–04.02.2025 द्वारा दी गई है।

4. यह चालू स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय **मुख्य शीर्ष**– "2230– श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–02–रोजगार सेवाएं, समूह शीर्ष–राज्य स्कीम, लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0101–नियोजन–सह–मार्गदर्शन कार्यक्रम, मांग संख्या–26, विपत्र कोड संख्या–26–2230.02.003.0101 चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत कंडिका–A एवं B से संबंधित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष– 0101–1301 कार्यालय व्यय एवं C एवं D से संबंधित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष 0101–20 02 कॉन्फरेंस,कार्यशाला एवं सेमिनार मद से विकलनीय होगा।

5. उक्त स्कीम अन्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2561/वि० दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य नियमों द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (c.f.m.s) के तहत निर्गत एवं व्यय किया जायेगा ।

6. इस स्कीम हेतु आवश्यक उदव्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन)/जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी होंगे।

8. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–2/यो०–5005/2025 के पृ०–6/टि० /टि० पर प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं०–2/यो०–5005/2025 के पृ०–7/टि० पर प्राप्त है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञाप संख्याः–2/यो०–5005/2025– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपिः–राज्य के सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी वि०वि०नि०सू० एवं मार्गदर्शन केन्द्रो सहित/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञाप संख्याः–2/यो०–5005/2025–477 पटना–01, दिनांक–07/5/2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

7.5.25
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग